भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 3192
दिनांक 06 अगस्त, 2026

वारंगल में पीएमयूवाई के तहत एलपीजी कनेक्शन

†3192. **डॉ. कडियम काव्यः**

क्या ***पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वारंगल (अनुसूचित जाति) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के अंतर्गत जारी किए गए तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) कनेक्शनों की संख्या वर्ष-वार कितनी है; और

(ख) सरकार ने उक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रिफिल की उपलब्धता में सुधार करने और पीएमयूवाई लाभार्थी परिवारों में एलपीजी के सतत उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए क्या उपाय किए हैं और रिफिल सब्सिडी और जागरूकता पहलों, यदि कोई हो, का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) और (ख): देश में गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं को बगैर जमानत राशि के एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी। वारंगल (एससी) संसदीय क्षेत्र में जनगांव, हनमकोंडा, वारंगल और जयशंकर भूपालपल्ली जिले शामिल हैं। दिनांक 01.07.2026 की स्थिति के अनुसार वारंगल संसदीय क्षेत्र के 1.22 लाख कनेक्शन सहित पूरे देश में लगभग 10.58 करोड़ पीएमयूवाई कनेक्शन थे। विगत तीन वित्त वर्षों के दौरान इन जिलों में जारी पीएमयूवाई कनेक्शन का वर्ष-वार विवरण निम्नानुसार है:

जिला	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2025-26
जनगांव	750	0	1,075
हनमकोंडा	1,068	38	253
वारंगल	717	0	43
जयशंकर भूपालपल्ली	393	46	1,464

स्रोत: पीएसयू ओएमसीज की ओर से आईओसीएल

पीएमयूवाई लाभार्थियों के बीच निरंतर उपयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विभिन्न कदम उठाए गए हैं जिनमें पीएमयूवाई के बारे में जागरूकता में सुधार हेतु अभियान आयोजित करने सहित आउट ऑफ होम

(ओओएच) होर्डिंग, रेडियो जिंगल, सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) वैन आदि के माध्यम से प्रचार करना शामिल है। इसके अलावा, पीएमयूवाई लाभार्थियों को, अग्रिम नकद खर्च को कम करने के लिए 14.2 किलोग्राम से 5 किलोग्राम तक, स्वैप का विकल्प और 5 किलोग्राम डबल बॉटल कनेक्शन का विकल्प दिया गया है।

भारत अपनी एलपीजी आवश्यकतों का अधिकांश आयात करता है तथा देश में एलपीजी के मूल्य सऊदी सीपी पर आधारित हैं। अप्रैल और मई 2026 में औसत सऊदी सीपी (एलपीजी मूल्य निर्धारण के लिए अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क) बढ़कर 780 अमेरिकी डॉलर/एमटी हो गया। जून 2026 में, सऊदी सीपी और बढ़कर 796 अमेरिकी डॉलर/एमटी (प्रीमियम को छोड़कर) हो गया, 14.2 किलोग्राम घरेलू एलपीजी सिलेंडर का बाजार निर्धारित मूल्य (एमडीपी) 1,695 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर हो गया।

जून 2026 से घरेलू एलपीजी का खुदरा बिक्री मूल्य 942 रुपए प्रति 14.2 किलो सिलेंडर पर बना हुआ है, जिसमें जून 2026 में 700 रुपए से भी अधिक प्रति 14.2 किलो सिलेंडर पर और जुलाई 2026 के दौरान 500 रुपए प्रति सिलेंडर की अंतर्निहित राजसहायता (अल्प-वसूली) शामिल है। अगस्त 2026 माह के लिए भी प्रति सिलेंडर के आरएसपी में 188 रुपए की अंतर्निहित राजसहायता शामिल है। 10.5 करोड़ से अधिक पीएमयूवाई उपभोक्ताओं के लिए 300 रुपए प्रति सिलेंडर की निर्धारित राजसहायता के बाद प्रभावी मूल्य केवल 642 रुपए प्रति सिलेंडर (दिल्ली) है।

सरकार, देशभर के घरों में किफायती मूल्यों पर घरेलू एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है, जिसके लिए सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 में ओएमसीज को 22,000 करोड़ रुपए का मुआवजा प्रदान किया और वित्त वर्ष 2025-26 और वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान 30,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। इस मुआवजे के भुगतान के बाद भी, 30 जून 2026 की स्थिति के अनुसार घरेलू एलपीजी पर पीएसयू ओएमसीज की संचित अल्प-वसूली 51,000 करोड़ रुपए से भी अधिक थी।

सरकार द्वारा पीएमयूवाई उपभोक्ताओं के लिए घरेलू एलपीजी की पहुंच और सामर्थ्य में सुधार लाने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों के परिणामस्वरूप, पीएमयूवाई लाभार्थियों की प्रति कनेक्शन खपत (प्रति वर्ष लिए गए 14.2 किलो एलपीजी सिलेंडरों की संख्या के संदर्भ में) वित्त वर्ष 2021-22 में 3.68 से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में 4.71 हो गई है।
